न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/326

1. नहना (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. हरबाई पत्नी नहना जाति गुर्जर निवासी ग्राम हीरापुर बासी पोस्ट नीमखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/2. नन्दकिशोर पुत्र नहना जाति गुर्जर निवासी ग्राम हीरापुर बासी पोस्ट नीमखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/3. बना पुत्र नहना जाति गुर्जर निवासी ग्राम हीरापुर बासी पोस्ट नीमखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/4. राकेश नाबालिग जरिये वली माता हरबाई पत्नी नहना जाति गुर्जर निवासी ग्राम हीरापुर बासी पोस्ट नीमखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राधेश्याम पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी ग्राम हीरापुर बासी पोस्ट नीमखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. चौथमल पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी ग्राम हीरापुर बासी पोस्ट नीमखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. देवी लाल पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी ग्राम हीरापुर बासी पोस्ट नीमखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामफूल पुत्र हरिया जाति गुर्जर निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामसहाय पुत्र हरिया जाति गुर्जर निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. मु0 शांति बेवा पत्नी हरिया जाति गुर्जर निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. गुलाब बाई उद्धा जाति गुर्जर निवासी ग्राम हीरापुर बासी पोस्ट नीमखेडा हाल पत्नी सुवालाल गुर्जर निवासी कालमिया पोस्ट जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
5. लछमा पुत्री उद्धा जाति गुर्जर निवासी ग्राम हीरापुर बासी पोस्ट नीमखेडा हाल पत्नी नाथू जाति गुर्जर निवासी सहण तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. भूमिधारी तहसीलदार साहब, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर महोदय बून्दी जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 05.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी की कुल 04 किता की रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में रामफूल, रामसहाय पिसरान हरिया व मु0 शान्ति बेवा हरिया हिस्सा 1/2 हिस्सा बराबर एवं उद्धा आत्मज बजरंगा हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर के नाम दर्ज हो रही है । राजस्व रिकॉर्ड में उद्धा आत्मज बजरंगा हिस्सा 1/2 का नाम अवैध व अनाधिकृत रूप से इन्द्राज होने से प्रभावशून्य है । उक्त भूमि पर पिछले 59 वर्षों से वादीगण से पूर्व वादी क्रम 1 व 2 के पिता व वादी संख्या 3 के पति हरिया एवं हरिया जी के देहावसान के पश्चात् वादीगण ही उक्त सम्पूर्ण भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सहखातेदार उद्धा ने अपने हिस्से 1/2 की भूमि 59 वर्ष पूर्व वादी क्रम 1 व 2 के पिता को बेचान कर मौके पर कब्जा संभला दिया था तब से ही उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 से 6 के अब कोई अधिकार किसी प्रकार से शेष नहीं रहे हैं । वादीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदार हो गये हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से उद्धा हिस्सा 1/2 को विलोपित किया जावे । प्रतिवादीगण क्रम 1 से 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करें तथा किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2016 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना वादीगण का वाद डिक्री कर दिया । वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से के खातेदार उद्धा आत्म्ज बजरंगा हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रजिस्टर्ड दस्तावेज के बिना खातेदार आसामी के विरूद्ध घोषणात्मक वाद में खातेदार की खातेदारी निरस्त कर अन्य को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई

जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से के खातेदार उद्धा आत्मज बजरंगा ने जरिये तहरीर 59 वर्ष पूर्व अपने हिस्से का रेस्पोडेन्ट कम 1 से 2 के पिता व रेस्पोडेन्ट कम 3 के पति हरिया का बेचान कर दिया था । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये । नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.05.2015 को वास्ते जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु नियत की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचना व सुनवाई के पत्रावली को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादीगण रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी तहरीर से कय करने का अंकन किया है । तथाकथित तहरीर से कोई बेचान है भी तो ऐसे वाद को सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को है राजस्व न्यायालय तहरीर के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी वादीगण अपीलान्ट के पिता/पति ने जरिये तहरीर 59 वर्ष पूर्व कय की थी तब से वे उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब प्रतिवादी कम 1 से 4 व 6 में लम्बित थी और इसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.08.2016 नियत की गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नियत तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 14.05.2016 को लोक अदालत में रखते हुए पक्षकारान की अनुपस्थिति में वाद वादीगण डिक्री कर दिया । लोक अदालत के नोटिस अपीलान्ट को जारी किये गये हों इसका साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और इसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया है । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर

तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा